27.9.17. प्रार्थी पत्र की ओर से श्री पैरोकार
हाजर (court) तिवारी उप./ विप्रार्थी
एकतरफा। प्रार्थी पत्र की बहस सुनी
गई। दौराने बहस कथन किया कि
आवेदन पत्र में आराजी रकबा का उपयोग
आमजन द्वारा आवागमन हेतु प्रयुक्त किया
जा रहा है और मौके पर रास्ता चल
रहा है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में निजी
खातेदारी में दर्ज है। अतः राजस्व रिकार्ड
में गै.मु. रास्ता दर्ज किया जावे।

हमने प्रार्थी पत्र की बहस पर मनन
किया और पत्रावली के संलग्न राजस्व
रिकार्ड एवं दस्तावेजात का गम्भीरता पूर्वक

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	171/17 सरकार / [illegible]	
	अवलोकन किया। तथा तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया, कि आवेदन में दर्शित खसरे का रकबा किस्म बा. दोयम लिखी खातेदारी में दर्ज है। जबकि मौके पर उक्त उल्लेखित रकबा का कास्तकार के आने जाने हेतु रास्ते के रूप में उपयोग में लिया जा रहा है। और तहसीलदार सिणधरी द्वारा भी उक्त रकबे की किस्म गै. मु. रास्ता दर्ज करने की सिफारिश की गई है। एवं विपक्षीगण बावजूद नोटिस तामील के हाजिर नहीं हुई। जिससे प्रतीत होता है, कि विपक्षी को उल्लेखित रकबे की किस्म गै. मु. रास्ता किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। यदि आपत्ति होती तो न्यायालय में हाजिर होकर कार्यवाही करते। लेकिन ऐसा विपक्षी द्वारा नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है, कि उल्लेखित रकबे पर मौके पर रास्ता चल रहा है। ऐसी स्थिति में न्यायालय को गै. मु. रास्ता दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन लोकहित एवं जनहित को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया और शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर (हो)। उपखण्ड अधिकारी सिणधरी	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

क्रमांकः / राजस्व / 2017 / 1277

दिनांक 27.9.17
मु.सं.171 / 2017

—::आदेश::—

श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के पत्रांकःप.12()(1)राजस्व / 2016 / 7205—40 दिनांक 10.10.2016 के द्वारा प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन किया है,कि राजस्व ग्राम **नया खंरटिया** पटवार मण्डल **खंरटिया** तहसील सिणधरी की जमाबंदी संवत् 2072—2075 के अनुसार के निम्नांकित भूमि निजी खातेदारी में दर्ज है। लेकिन मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है,जिसे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावें।

भूमिधारक तहसीलदार सिणधरी द्वारा अनुशंषा किये जाने पर राजस्व (ग्रुप—6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकःप3(2)राज—6 / 2003 / पार्ट / 04 दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू—अभिलेख नियम 1957 के नियम 60(एच) के तहत राजस्व ग्राम **नया खंरटिया** पटवार मण्डल **खंरटिया** तहसील सिणधरी की निम्नांकित निजी खातेदारी भूमि को **गैर मुमकिन रास्ता** दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ता सम्बन्धित खातेदार की खातेदारी में रहेगा। परंतु नक्शे में जमाबंदी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जायेगा व रास्ते के रकबे सहित किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज की जायेगी। तहसीलदार सिणधरी तदनुसार राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में आदेशानुसार पालना करते हुए पालना रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करावें। तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव व नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

क्र. स.	खातेदार का नाम	ख.न.	कुल रकबा (बीघा)	किस्म	रास्ते हेतु मौके अनुसार प्रस्तावित भूमि	
					रकबा	किस्म
1	नरींगा लाला चुतरा पि.पदमा कौम जाट देदड़ सा.देह खातेदार रहन—नरींगा का हि.जे.टी.जी.बी. शाखा चवा	115	77-10	बा.दोयम	0-18	गे.मु.रास्ता
2	गेनाराम रेखाराम पोकराराम वगताराम पि.दानाराम लालाराम वल्द चौलाराम 1/2 वगताराम रूपाराम रेखाराम पि.चिमाराम खेताराम लूम्भाराम पि.मोड़ाराम नेनू पत्नि मोड़ाराम देवा देदा पि.मूला धना आईदान पि.हीरा पूरो पत्नि हीरा 1/2 कौम	173/120	9-08	बा.दोयम	0-13	गे.मु.रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

	जाट सारण सा.देह खातेदार					
3	खेमाराम नानगाराम ताजाराम लाखाराम पि.धुड़ाराम कौम जाट पोटलिया सा.देह खातेदार रहन–आर.एम.जी.बी शाखा चवा	221/122	7-02	बा.दोयम	1-15	गे.मु.रास्ता
4	कंवराराम गोदपुत्र निम्बाराम जेती पत्नि पोकर कोहला वल्द विरधा रावता वल्द पुरा कौम जाट पोटलिया सा.देह खातेदार रहन–जे.टी.जी.बी. शखा चवा	124	98-15	बा.दोयम	1-08	गे.मु.रास्ता
5	चैनाराम वीरमाराम नैनाराम पि. सांवलाराम हेमी पत्नि नरसींगा आम्बाराम वल्द नरसींगा जुंजाराम दीपाराम पि.दलाराम रूखमों पत्नि दलाराम रामाराम वल्द पुनमाराम ठाकराराम तोगाराम पि.खीयाराम माडू बेवा खींयाराम दमाराम तेजाराम हुकमाराम उमाराम पि.कुंभाराम हरखु पत्नि कुंभाराम कौम जाट सा.देह खातेदार रहन–चैनाराम वीरमाराम नैनाराम हेमी आम्बाराम जुंजाराम दीपाराम रूखमों दमाराम तेजाराम हुकमाराम उमाराम हरखु रामाराम व माडू का हि.आर.एम. जी.बी.शाखा चवा	127	223-00	बा.दोयम	1-12 0-11	गे.मु.रास्ता गे.मु.रास्ता

(महावीरसिंह)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

क्रमांकः/राजस्व/2017/ 1278-79 दिनांक 27.9.2017

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक पालनार्थ।

1. श्रीमान जिला कलक्टर,बाड़मेर।
2. तहसीलदार सिणधरी।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Scanned by CamScanner